# हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–171002 के मण्डल–2, शिमला–171009 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

## अवधि 4/2009 से 3/2010 तक

## भाग–एक

### गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी। अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु समयबद्ध रूप से पूर्ण निपटारे हेतु कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है। संस्थाध्यक्ष से अनुरोध है कि अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों को निपटारे हेतु विशेष निर्देश जारी करने की कृपा करें।

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 25 | अनिर्णीत |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 21(क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 21(ख) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 22 | अनिर्णीत |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 15(4) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 25(1 से 4) | अनिर्णीत |

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 10(2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 13(1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 13(2) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 17(1) | अनिर्णीत |



393821

| | | |
|---|---|---|
| 6 | पैरा 17(2) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 17(3) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 18(1) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 18(2) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 20(1) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 20(2) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 21 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 28 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 29 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 31 | अनिर्णीत |

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9(क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 9(ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 13(क) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 13(ख) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 21(क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 21(ख) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 24(क) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 24(ख) | अनिर्णीत |

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6(ग)(क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6(ग)(ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 17(क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 17(ख) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 19 | अनिर्णीत |

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4(क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 4(ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 5(क) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 5(ख) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 6(क) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 6(ख) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 6(ग) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 6(घ) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 6(ङ) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 6(च) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 8(क) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 8(ख) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 8(ग) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 9(क) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | पैरा 9(ख) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 9(ग) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 9(घ) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 9(ङ) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 10(क) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 10(ख) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 11(क) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 11(ख) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 11(ग) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 12(क) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 12(ख) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 12(ग) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 21 | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 24(क) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा 28 | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा 29 | अनिर्णीत |

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–9 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 11(क) | अनिर्णीत |

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 23(ख)(1) | अनिर्णीत |

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 10 (परिशिष्ट व) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 29 | अनिर्णीत |

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9(घ)(1 से 4) | अनिर्णीत |

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9 | अनिर्णीत |

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 24(ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 24(बी) | अनिर्णीत |

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(7) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5(8) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7(1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7(2) | अनिर्णीत |

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 27 | अनिर्णीत |



393822

| | | |
|---|---|---|
| 3 | पैरा 30 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 32(सी) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 32(डी) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 32(ई) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 32(एफ) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 32(जी) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 32(एच) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 33 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 36 | अनिर्णीत |

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 13(ट) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 12(ढ)(2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 19(ड) | अनिर्णीत |

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 20(10)(ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 23(1)(क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 23(1)(ख) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 23(1)(ग) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 25(क) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 25(ख) | अनिर्णीत |

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 21 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 22 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 78 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 79 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 80 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 81 (दोनों मण्डल) | अनिर्णीत |

## भाग–दो

**वर्तमान अंकेक्षण :–**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला के निर्माण मण्डल–2 के लेखा अवधि 4/2009 से 3/2010 की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री कौल सिंह संयुक्त निदेशक के पर्यवेक्षण मे श्री सुरेश गुप्ता व अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.09.10 से 30.10.10 तक कसुम्पटी में किया गया। लेखों की विस्तृत जॉच हेतु मास 3/2010 का चयन किया गया। वर्तमान अंकेक्षण परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

यह वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मण्डल–2 के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई अन्य अनियमितताओं के लिए ऊतरदायी नहीं होगा।

**अंकेक्षण शुल्क :–**

वर्ष 2009–2010 तक के लेखों से सम्बन्धित अंकेक्षण शुल्क की राशि के बारे में आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को पृथक से स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग मुख्यालय द्वारा अनुरोध किया गया।

(क) **विविध अग्रिम :–**

₹35,05,787/–की राशि दिनांक 31.03.10 को विविध अग्रिमों के रूप में विभिन्न संस्थाओं, फर्मों, व्यापारियों इत्यादि के व्यक्तिगत खातों में वसूली/समायोजन हेतु शेष थी। सम्बन्धित अग्रिमों के समायोजन हेतु शेष थी। सम्बन्धित अग्रिमों के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 के अधीन कार्यरत विभिन्न कर्मचारियो/अधिकारियों के नाम दिनांक 31.03.10 को ₹28,351/–की राशि स्टाफ अग्रिम के रूप मे समायोजित/वसूली हेतु शेष थी। इन स्टाफ अग्रिमो का समय पर वसूली/समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनकी शीघ्र वसूली/समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों के मकानों/प्लाटों के रख–रखाव रजिस्टर व जल प्रभार रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि



3938224

दिनांक 31.03.10 तक निम्नलिखित आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से रख–रखाव प्रभार के ₹13,59,046/–व जल प्रभार के ₹4,70,404/–की राशि की वसूली की जानी शेष थी, जिनका कलौनी बार विवरण नीचे दिया गया है। बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र उचित एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| क्रम संख्या | आवास बस्ती का नाम | रख–रखाव प्रभार की वसूली (₹) | जल प्रभार की वसूली हेतु बकाया राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | शौघी | ₹3,67,337/– | ₹2,94,299/– |
| 2 | बी0सी0एस0 | ₹3,56,927/– | ₹1,63,525/– |
| 3 | सोलन फेस–II | ₹5,00,396/– | ₹5,882/– |
| 4 | बसाल | ₹1,00,855/– | ₹5,598/– |
| 5 | सोलन फेस–I | ₹33,531/– | – |
| | | ₹13,59,046/– | ₹4,70,404/– |

## 6 उपमण्डल स्तर पर प्राप्त आय को देरी से मण्डल में जमा करवाना :–

अंकेक्षण के दौरान मण्डल–2 में जल प्रभार व रख–रखाव प्रभार से प्राप्त आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि सोलन उप मण्डल में इन मदों से प्राप्त आय को मण्डल कार्यालय में काफी समय के उपरान्त जमा किया गया जबकि नियमानुसार प्राप्त आय को आगामी कार्य दिवस में जमा किया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आय को निर्धारित समय पर जमा न किए जाने के कारण ब्याज की हानि उठानी पड़ी। प्राप्त आय को देरी से जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा देरी से राशि जमा करने के कारण हुई ब्याज की हानि की भरपाई उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| मद जिससे आय प्राप्त की गई | रसीद सं0 | अवधि | प्राप्त की गई राशि | मण्डल कार्यालय में जमा की गई राशि एवं तिथि | | रसीद संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राशि | तिथि | |
| रख–रखाव प्रभार | 4301 से 4331 | 01.04.09 से 30.04.09 | 24,938/– | 24,938.00 | 04.05.09 | 0016106 |
| | 4332 से 4660 | 01.05.09 से 25.05.09 | 106027/– | 7,054.00 | 28.05.09 | 0016262 |
| | 4661 से 4677 | 01.06.09 से 26.06.09 | 14727/– | 1,014.00 | 27.06.09 | 0016669 |
| | | | | 13713 | 03.07.09 | 0016679 |
| | 4678 से 4687 | 03.07.09 से 27.07.09 | 43087/– | 43,087.00 | 01.08.09 | 0016726 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4688 से 4696 | 03.08.09 से 25.08.09 | 8584/- | 8,584.00 | 02.09.09 | 0016778 |
| | 4697 से 5104 | 01.09.09 से 29.09.09 | 10304/- | 10,304.00 | 01.10.09 | 0016809 |
| | 5105 से 5119 | 01.10.09 से 31.10.09 | 10937/- | 10,937.00 | 03.11.09 | 0016925 |
| | 5120 से 5174 | 05.11.09 से 30.11.09 | 90333/- | 90,333.00 | 01.12.09 | 0036215 |
| | 5175 से 5650 | 01.12.09 से 23.12.09 | 68363/- | 2,271.00 | 15.12.09 | 0036293 |
| | | | | 54,838.00 | 15.12.09 | 0036294 |
| | | | | 11,254.00 | 02.01.10 | 0036351 |
| | 5651 से 5665 | 04.01.10 से 29.01.10 | 13477/- | 13,477.00 | 02.02.10 | 0036399 |
| | 5666 से 5672 | 01.02.10 से 20.02.10 | 5002/- | 5,002.00 | 03.03.10 | 0036833 |
| | 5673 से 5683 | 04.03.10 से 29.03.10 | 34115/- | 4,852.00 | 27.03.10 | 0036873 |
| | | | | 1,230.00 | 30.03.10 | 0036881 |
| | | | | 28,033.00 | 30.03.10 | 0036886 |
| जल प्रभार | 4717 से 4724 | 01.06.09 से 26.06.09 | 1556/- | 1,556.00 | 03.07.09 | 0016678 |
| | 4725 से 4800<br>4801 से 4900<br>4901 से 4954<br>4955 से 4959 | 01.07.09 से 30.07.09 | 80039/- | 80,039.00 | 01.08.09 | 0016727 |
| | 4960 से 5000,<br>5001 से 5029 | 01.08.09 से 30.08.09 | 23400/- | 23,400.00 | 02.09.09 | 0016777 |
| | 5030 से 5100,<br>5201 से 5300,<br>5301 से 5307 | 01.09.09 से 29.09.09 | 68475/- | 68,475.00 | 01.10.09 | 0016804 |
| | 5308 से 5319 | 01.10.09 से 30.10.09 | 6640/- | 6,640.00 | 03.11.09 | 0016926 |
| | 5320 से 5400,<br>5401 से 5500, | 04.11.09 से 30.11.09 | 86759/- | 86,759.00 | 01.12.09 | 0036214 |



3938226

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501 से 5551, 5552 से 5567 | 02.12.09 से 30.12.09 | 15491/– | 10,262.00<br>5,229.00 | 15.12.09<br>02.01.10 | 0036295<br>0036352 |
| 5568 से 5600, 5701 से 5800, 5801 से 5886 | 02.01.10 से 29.01.10 | 77960/– | 65,000.00<br>12,960.00 | 20.01.10<br>02.02.10 | 0036377<br>0036398 |
| 5887 से 5900, 5901 से 5903 | 01.02.10 से 20.02.10 | 6048/– | 6,048.00 | 03.03.10 | 0036832 |
| 5904 से 5908 | 02.03.10 से 29.03.10 | 2405/– | 73.00<br>2,332.00 | 30.03.10<br>27.03.10 | 0036882<br>0036874 |

| समायोजन वाऊचर संख्या | मास | राशि |
|---|---|---|
| 24 | 1/2010 | ₹31,539/– |
| 25 | 9/2009 | ₹39,143/– |
| 27 | 11/2009 | ₹32,947/– |
| 28 | 12/2009 | ₹19,708/– |

**₹1,23,337.00 के स्टाफ अग्रिम को अत्यन्त विलम्ब से समायोजित करना :–**

उपरोक्त वर्णित समायोजन वाऊचरों के द्वारा सब डिवीजन सोलन के प्रत्येक मास प्रस्तुत किए गए स्टाफ अग्रिम के लेखों को समायोजित किया गया। यह समायोजन मास 9/2009, 11/2009, 12/2009 व 1/2010 से सम्बन्धित था जो नियमानुसार प्रत्येक मास के अन्त मे निर्माण मण्डल में प्राप्त होना तथा आवश्यक कार्यवाही उपरान्त आवश्यक समायोजन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में पाया गया कि यह समायोजन अत्यन्त विलम्ब से किया गया। यह लेखें निर्माण मण्डल में किस तिथि को प्राप्त हुए सब डिवीजन द्वारा इन्हें किस पत्र के द्वारा निर्माण मण्डल को भेजा गया, स्पष्ट नहीं था तथा निर्माण मण्डल द्वारा किए दिनांक को लेखे समायोजित किए गए अभिलेख से स्पष्ट नहीं हो पाया। अत्यन्त विलम्ब से स्टाफ अग्रिम लेखे समायोजित किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। ₹1,23,337/–के स्टाफ अग्रिम लेखा को अत्यनत विलम्ब से पारित किए जाने व तत सम्बन्धित प्राप्ति सन्दर्भ/पारित सन्दर्भ अभिलेख मे न दिए जाने से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

**समायोजन वाऊचर संख्या 13, दिनांक 31.03.10, राशि 15,500/- ₹15,500/-की खरीदी गई पुस्तकों की स्टॉक प्रविष्टि अभिलेख में न करना :-**

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के द्वारा श्री रमेश कुमार, एच0डी0एम द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु खरीदी गई निम्न वर्णित पुस्तकों हेतु ₹15,500/- की राशि को समायोजित किया गया। अंकेक्षण में जॉच करने पर पाया गया कि खरीदी गई पुस्तकों को निर्माण मण्डल के स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप इन खरीदी गई पुस्तकों के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्टॉक प्रविष्टियों को बिना सत्यापित किए ही भुगतान समायोजित किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व स्टॉक प्रविष्टियों को किए जाने उपरान्त इन्हें सत्यापित करवाया जाए।

| क्रम संख्या | विवरण | मात्रा | व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | बिल्डिंग वर्क शडयूल | 5 नम्बर | ₹5000/- |
| 2 | बिल्डिंग वर्क एनालाइसिस आफ रेट (1 से 7) | 1 सैट | ₹3500/- |
| 3 | ब्रीज वर्कस शडयूल | 1 नम्बर | ₹500/- |
| 4 | ब्रीज वर्कस एनालाईसिस आफ रेट | 1 नम्बर | ₹500/- |
| 5 | रोड़ वर्कस शडयूल | 5 नम्बर | ₹5000/- |
| 6 | रोड़ वर्कस एनालाईसिस आफ रेट वाल्यूम 1 व 2 | 1 नम्बर | ₹1000/- |
| | | योग | ₹15500/- |

9 **वाऊचर संख्या 44, दिनांक 04.01.10, राशि ₹42,150/- :-**

खाता बही के पृष्ठ संख्या 269 पर दर्शाए गए लेखा शीर्ष एस0सी/एस0टी0 होस्टल फॉर 105 बोआज एट गवर्नमैंट कॉलेज संजौली-6 की पड़ताल करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या 44, दिनांक 04.01.10 के अन्तर्गत ₹42,150/-के व्यय को उपरोक्त लेखा शीर्ष में सम्मिलित किया गया था। वाऊचर संख्या 44 के अन्तर्गत किया गया व्यय सोलन बस स्टैंड पर डिस्पले बोर्ड साईज 10'x4' पर दिये गए उपलब्धि विज्ञापन से सम्बन्धित था जिसे ₹14,050/-प्रतिमास की दर से (शुद्ध भुगतान 15% छूट की राशि काट कर) मै0 पैजीडैंट नार्थ हिमालयन एनवायरमैंट पोटैक्शन व एजुकेशन सोसाइटी, एस0सी0एफ-14 सैक्टर 15, पंचकुला को अनुबन्ध संख्या 12 वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत किया गया। उपरोक्त व्यय पर निम्न वर्णित टिप्पणियाँ आपेक्षित हैं।

(1) सोलन बस स्टैंड पर उपलब्धि विज्ञापन पर प्रतिमास भुगतान अपने ही स्तरपर हिमुडा द्वारा सीधे ही किया जा रहा था जबकि उपरोक्त व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी

दिशा निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए जन सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से किया जाना आपेक्षित था। अंकेक्षण में पाया गया कि इस प्रकार की कोई भी औपचारिकता हिमुडा द्वारा नहीं अपनाई गई तथा सीधे ही एक विज्ञापन पर क्रम बद्ध/चलित रूप में प्रति मास भुगतान एक संस्था को किया जा रहा है। जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता उपरोक्त विज्ञापन शीर्ष पर व्यय जन सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व किए गए भुगतान के औचित्य की पुष्टि उक्त विभाग से करवाई जाए व भविष्य में इस प्रकार का व्यय उक्त विभाग के माध्यम से ही करवाया जाए।

(2) व्यय को करते समय लेखा शीर्ष हैड ऑफिस कंटीजैंसी को किया दर्शाया गया जिसे खाता बही में लेखांकित करते समय एक पृथक ही लेखा शीर्ष एस0एस0टी0 होस्टल फॉर 105 ब्वायज गवर्नमैंट कॉलेज संजौली–6 को कर दिया गया जो कि किसी भी प्रकार सही प्रतीत नहीं होता तथा अपने में ही विरोधाभासी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किसी औचित्य के किए जा रहे व्यय को छुपाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। सही लेखा शीर्ष में राशि लेखा बद्ध न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

10 <u>वाऊचर संख्या 155, दिनांक 31.03.10, राशि 21,73,998/–</u> :–

| | | |
|---|---|---|
| कार्य का नाम | : | कन्सट्रक्शन ऑफ 18 नं0 कैट–1 फलैटस, 6 नं0 कैट–2 फलैटस 24 नं0, कैट–3 फलैटस |
| संविदाकार का नाम | : | मैं0 एम0एल0गुप्ता |
| चलत बिल संख्या | : | 16वां |
| माप पुस्तिका संख्या | : | 624 |
| अनुबन्ध संख्या | : | 13 वर्ष 2007–08 |

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य निर्माण मण्डल के पत्र संख्या एच0बी0एस (एस0डी0–2)ए–266/200) के द्वारा मैं0 एम0एल0 गुप्ता एण्ड एसोसियेट संविदाकार को ₹6,94,90,402/–में आवंटित किया गया। उपरोक्त निर्माण कार्य निविदा की राशि पर सिविल वर्क के लिए 63.36% तथा प्रोवाईडिंग इन्टरनल वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटरी इन्सटालेशन के लिए 55.14% की अधिकता पर यह कार्य आवंटित किया गया जो कि संविदाकार द्वारा 18 मास की समय अवधि में दिनांक 31.12.08 तक पूर्ण किया जाना था उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य पर निम्न टिप्पणियाँ आपेक्षित हैं।

1ध२-

(1) डेढ़ साल के स्थान पर एक वर्ष 10 मास के विलम्ब के पश्चात भी पूर्ण न किया जाना :-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा 18 मास में पूर्ण किया जाना आपेक्षित था परन्तु दिनांक 31.10.10 तक अर्थात अंकेक्षण किए जाने तक 22 मास का समय व्यतीत हो जाने पर भी इस निर्माण कार्य को संविदाकार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि संविदाकार द्वारा दिनांक 31.10.10 तक दो गुणा से भी अधिक समय लिए जाने के पश्चात भी केवल 67% के कार्य को ही पूर्ण किया गया था जोकि किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता तथा हिमुडा की दक्षता को भी प्रभावित करता है व निर्माण लागत में भी अनावश्यक रूप से वृद्धि होती है। निर्माण कार्य में पाए गए अत्याधिक विलम्ब बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

धीमी गति से कार्य किए जाने पर भी 8 ब्लाक के विरूद्ध एक अन्य ब्लाक का कार्य संविदकार से अतिरिक्त रूप में करवाया जाना :-

निर्माण कार्य के चलत बिलों की जाँच करते समय पाया गया कि अनुबन्ध में वर्णित 8 नं0 ब्लाक के अतिरिक्त एक ब्लाक नम्बर 28 का निर्माण कार्य भी संविदाकार से करवाया जा रहा है जैसा कि ऊपर वर्णित पैरे में निर्माण कार्य की धीमी गति से किए जाने बारे स्पष्ट किया गया है, को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाये जाने का क्या औचित्य था। जिसके परिणाम स्वरूप अनुबन्ध भी मूलतः प्रभावित होता है। इस बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए।

11 निर्माण कार्य से सम्बन्धित टैंडर केस की पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा जारी एन0आई0टी0 पर केवल दो ही संविदाकारों से दरें प्राप्त हुई। कन्सट्रक्शन ऑफ 18 नम्बर कैट–1 फ्लेटस (ब्लाक 4,22&23) 6 नम्बर कैट–2 ब्लाक नम्बर 5 व 24 नम्बर कैट–3 फलैटस (ब्लाक नम्बर 24 से 27) की एन0आई0टी0 ₹4,26,39,014/–में स्वीकृत की गई जिसके विरूद्ध मैं0 एम0एल0 गुप्ता एण्ड एसोसिएटस द्वारा ₹7,27,99,474/– व श्री गिरीश गुप्ता द्वारा ₹7,44,90,076.22 में यह कार्य निपटारे हेतु अपनी दरें दी गई जिसमें मैं0 एम0एल0 गुप्ता एसोसिएट की दरें न्यूनतम पाए जाने पर उन्हें यह कार्य सिविल वर्क के लिए 75.03% अधिक तथा इन्टरनल वाटर सप्लाई व सिवरेज के लिए 61.75% अधिक पर आवंटित किया गया।

पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा आठ ब्लाक के निर्माण कार्यों को समेकित करके एक बड़ी एन0आई0टी0 तैयार करके निविदाऐं आमन्त्रित की गई जिसमे कि अधिकतर संविदाकार क्वालीफाई न कर पाने के कारण केवल दो ही संविदाकारों से निविदाऐं प्राप्त हुई वह भी मिल बैठ कर ही दी गई प्रतीत होती है। यदि यह निर्माण कार्य दो भागों में भी बांट दिया गया होता तो अधिक संविदाकारों से निविदाऐं प्राप्त होती तथा यह भी सम्भावित था कि संविदाकारों की दरें इससे भी कम पाई जाती। यदि यह भी मान लिया जाए कि बड़ी एन0आई0टी0 तैयार करने के पीछे



3938230

बड़े संविदाकार की सेवाएं लेते हुए निर्माण कार्य को कम समय में कुशलतापूर्वक सम्पन्न करवाना था तो यह तर्क भी उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि संविदाकार द्वारा दो गुणा से भी अधिक समय लगाने पर भी यह निर्माण कार्य अभी भी अंकेक्षण किए जाने तक लम्बित ही था। हिमुडा द्वारा उपरोक्त पाए गए तथ्यों के दृष्टिगत अपनाई गई प्रक्रिया पर स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी वर्णित है कि इसी प्रकार की स्थिति अन्य निर्माण कार्यों में भी पाई गई जिससे स्पष्ट है कि गलत निर्णय लिए जाने के कारण हिमुडा के निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्यक बढ़ौतरी हो रही है तथा निर्माण कार्य भी समय पर पूर्ण नहीं होकर अत्यन्त विलम्ब से पूर्ण हो रहे हैं। जो कि हिमुडा की कार्य प्रणाली व दक्षता पर प्रशन चिन्ह लगाकर इसे प्रभावित करती है। मामला आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

12 **₹20,84,712/–के मुआवजे की राशि संविदाकार से प्राप्त न करना :–**

संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने में किए जा रहे विलम्ब को देखते हुए अनुबन्ध की धारा–2 के अन्तर्गत संविदाकार को ₹20,84,712/–की राशि मुआवजे के रूप में डाली गई। यह मुआवजा अधिक्षण अभियन्ता द्वारा दिए गए निर्णय संख्या हिमुडा–15–297/06एस0ई0(एस)3136–3 दिनांक 31.12.08 द्वारा संविदाकार को लगाया गया परन्तु अंकेक्षण के समय पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार से इस राशि की वसूली नहीं की गई है। संविदाकार द्वारा इस राशि को वसूली हेतु लम्बित रखे जाने पर किए गए, अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अधिक्षण अभियन्ता (साऊथ) द्वारा पृष्ठांकन संख्या: हिमुडा–15–292/06–एस0ई0(एस)–वॉल्यूम–1–1316–19, दिनांक 05.05.2009 के अन्तर्गत इस राशि को वसूली हेतु लम्बित कर दिया गया ताकि निर्माण कार्य को निपटाने में संविदाकार को किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई न हो। उक्त दिनांक तक केवल 41.88% कार्य ही संविदाकार द्वारा किया गया था तत्पश्चात एक वर्ष पांच मास का समय व्यतीत हो जाने पर भी केवल 63.36% कार्य ही संविदाकार द्वारा निपटाया जा सका तथा हिमुडा अधिकारियों द्वारा मुआवजे की वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा संविदाकार को नियमों की अनदेखी करके लाभ पहुंचाया जा रहा है। यदि संविदाकार इतने बड़े कार्य को निपटारे में सक्षम ही नहीं था तो यह निर्माण कार्य संविदाकार को क्यों आबंटित किया गया। यदि संविदाकार को निर्माण कार्य आबंटित भी किया गया तो दो गुणा से भी अधिक समय संविदाकार द्वारा लगाए जाने पर क्यों संविदाकार के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की गई जोकि विलम्ब के लिए अनुबंध ~~की~~ शर्तों के अनुसार की जानी अपेक्षित थी।

13 संविदाकार को ₹1,08,198/–की राशि का अधिक भुगतान :–

| | |
|---|---|
| वाऊचर संख्या: 165 | दिनांक 31.03.10 |
| अनुबन्ध संख्या 13 | वर्ष 2007–08 |
| संविदाकार का नाम | मैं0 गुप्ता एसोसिएटस |
| निर्माण कार्य का नाम | पी0एस0एफ0एस0(छबरोगटी) कसुम्पटी के 18 न0 श्रेणी–1, 6 नम्बर श्रेणी–2 और 24 नम्बर श्रेणी–3 फलैट का निर्माण। |

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन अवार्ड पत्र संख्या एच0बी0एस0(एसडी–2)ए–266/2007–1692–99 दिनांक 16.06.07 द्वारा ₹6,94,90,402/– के लिए मैं0 गुप्ता एसोसिएट को किया गया। निर्माण कार्य के दूसरे चलित बिल जिस की लागत प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या: 534, पृष्ठ 16 पर की गई थी, की अनुबन्ध की मद संख्या 6/12(बी) में "प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंकरीट", रिकॉर्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 533 पृष्ठ 44 पर ससपेंडड फ्लोर, रूफ लैडिंगस में पैमाइश में मात्रा 32.99 घनमीटर ली गई जबकि इस कार्य की मात्रा 28.31 घन मीटर बनती थी। इस प्रकार 4.68 घनमीटर का ₹3,250/–की दर से ₹15,210/–का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी शीघ्र वसूली करके जमा करवाई जाए।

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे चलित बिल जिसकी लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका सं0 534, पृष्ठ संख्या 18 पर की गई थी, की अनुबन्ध की मद संख्या 9/26 प्रोवाईडिंग वुड वर्क इन फ्रेमज ऑफ डोर, विन्डो, जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 533 पृष्ठ 49 पर 1.806 घन मीटर ली गई जबकि इस कार्य की मात्रा 1.638 घन मीटर बनती थी। इस प्रकार 0.168 घन मीटर का ₹66,000/–की दर से ₹11,088/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी शीघ्र वसूली करके जमा करवाई जाए।

(ग) उपरोक्त निर्माण कार्य के 11वें चलित बिल जिसकी लागत प्रविष्टियों माप पुस्तिका संख्या: 613 पृष्ठ संख्या: 60 पर की गई थी, की अनुबन्ध की मद संख्या: 9/26 प्रोवाईडिंग वुड वर्क इन फ्रेमज ऑफ डोर, विन्डो जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या: 619 पृष्ठ 39 पर 0.149 घन मीटर ली गई जबकि इस कार्य की मात्रा 0.143 घन मीटर बनती थी। इस प्रकार 0.006 घनमीटर का ₹66,000/–की दर से ₹396/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी शीघ्र वसूली करके जमा करवाई जाए।



3938232

(घ) उपरोक्त निर्माण कार्य के 15वें चालित बिल जिसकी लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 624 पृष्ठ संख्या 15 पर की गई थी की अनुबन्ध की मद संख्या 35 फैब्रीकेशन एण्ड फिक्सिंग एम0एस0 ग्रिल इन वुड फ्रेम जो कि ब्लाक नम्बर 25,26,27और 28 श्रेणी–3 जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 620 पृष्ठ 93 पर 4569.81 कि0ग्रा0 ली गई थी, जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि स्कवायर बार 12x12 MM साईज की मात्रा रनिंग मीटर में मापे जाने के पश्चात इसे कि0ग्रा0में परिवर्तित करते समय 2.13 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का फैक्टर लगाकर मात्रा कि0ग्रा0 में आंकी गई जबकि सही गणना 1.13 कि0ग्रा0 प्रति मी0 की दर से की जानी चाहिए थी। इस प्रकार गलत गणना किए जाने के कारण 1630.07 कि0ग्रा0 मात्रा जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस प्रकार अधिक मात्रा की ₹50/– कि0ग्रा0 की दर से ₹81,503.50 की वसूली करके जमा करवाई जाए।

<u>अधिक ली गई मात्रा का विवरण</u>

| क0सं0 | मात्रा ली गई | रनिंग मीटर | फैक्टर | कि0ग्रा0 |
|---|---|---|---|---|
| (i) | फ्लैट 25x5 mm | 44.02 | 1.00 | 44.02 |
| (ii) | स्कवायर बार 12x12 mm | 65.85 | 2.13 | 140.26 |
| | | | कुल | 184.28 |
| | | 24 सैटों हेतु = 184.28 किलो ग्राम x24= | | 4422.72 |
| | **साईड विन्डो** | | | |
| (i) | फ्लैट 25x5 mm | 41.28 | 1.00 | 41.28 |
| (ii) | स्कवायर बार 12x12 mm | 49.68 | 2.13 | 105.81 |
| | | | कुल मात्रा (किलो ग्राम) | 4569.81 |
| | **मात्रा ली जानी चाहिए थी** | | | |
| (i) | फ्लैट 25x5 mm | 44.02 | 1.00 | 44.02 |
| (ii) | स्कवायर बार 12x12 mm | 65.85 | 1.13 | 74.41 |
| | | | कुल | 118.43 |
| | | 24 सैटों हेतु = 118.43 किलो ग्राम x24= | | 2842.32 |
| | **साईड विन्डो** | | | |
| (i) | फ्लैट 25x5 mm | 41.28 | 1.00 | 41.28 |
| (ii) | स्कवायर बार 12x12 mm | 49.68 | 1.13 | 56.14 |
| | कुल मात्रा (किलो ग्राम) | | | 2939.74 |

अधिक मात्रा (किलो ग्राम) 4569.81–2939.74=1630.07 किलो ग्राम

(ङ) उपरोक्त निर्माण कार्य के 16वें चलित बिल में अनुबन्ध की मद संख्या 35, प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग एस0एस0 ग्रिल इन क्रय फ्रेम की पड़ताल पर पाया गया कि ब्लाक संख्या 4,5 और 22 हेतु ओवर ऑल मात्रा 3766.92 कि0ग्रा0 मापी गई जिसका विवरण माप पुस्तिका संख्या 617, पृष्ठ 82 पर दिया गया। इन सभी ब्लाक हेतु पूर्व मे 2421.00 कि0ग्रा0 मात्रा माप पुसितका संख्या 606 पृष्ठ संख्या 9 और 2421.00 कि0ग्रा मात्रा माप पुस्तिका संख्या5 606 पृष्ठ संख्या 97 का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 1075.08 कि0ग्रा0 मात्रा का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया अपितु इस भुगतान की वसूली संविदाकार से 16वें चलित बिल से की गई।

नियमानुसार माप पुस्तिका में संविदाकार द्वारा किए गए कार्य को ही दर्ज किया जाता है तथा दर्ज किए गए कार्य अनुसार ही भुगतान किया जाता है परन्तु इस नियम की अनदेखी करके संविदाकार को 1075.08 कि0ग्रा0 मात्रा का दर ₹50/–प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹53,754/–का अधिक भुगतान किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में इस तरह की चूक से बचा जाए।

14 **संविदाकार को ₹4,536/– की राशि का अधिक भुगतान** :–

| | |
|---|---|
| वाऊचर संख्या 25 | दिनाक 03.03.10 |
| अनुबन्ध संख्या 15 | वर्ष 2007–08 |
| संविदाकार का नाम | मैं0 ए0जी0 कन्सट्रक्शन |
| निर्माण कार्य का नाम | पी0एस0एफ0एस0 (छवरोगटी) कसुम्पटी के 18 नं0 श्रेणी–1,6 नम्बर श्रेणी–2 फलैट का निर्माण |

उपरोक्त निर्माण कार्य का आवंटन अवार्ड पत्र संख्या एच0बी0एस0(एस0डी0–2)ए0–268/2007–1905–12 दिनाक 26.06.07 द्वारा ₹4,16,19,830/–के लिए मैं0 ए0जी0 कन्सट्रक्शन को किया गया। निर्माण कार्य के 15 वें चलित बिल जिसकी लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 750 पृष्ठ 54 पर की गई थी, की अनुबन्ध मद संख्या 24 आर0आर0 मैसनरी रिकॉर्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 748 पृष्ठ 27 पर पैमाईश 2395.06 घन मीटर ली गई जबकि पैमाईश 2392.54 घन मीटर बनती थी। इस प्रकार 2.52 घन मीटर का ₹1800/–प्रति घन मीटर की दर से ₹4536/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी शीघ्र वसूली करके जमा करवाई जाए।



3938234

157

147 -

15 संविदाकार को ₹3,621/–की राशि का अधिक भुगतान :–

| | |
|---|---|
| वाऊचर संख्या 157 | दिनांक 31.03.10 |
| अनुबन्ध संख्या: | 11 ऑफ 2006–07 |
| संविदाकार का नाम | मैं0 मारिया इंटरप्राईजिज़ |
| निर्माण कार्य का नाम | सोशल हाऊसिंग कलौनी एट बसाल, 16 नम्बर श्रेणी–1, 8 नम्बर श्रेणी–2 48 नम्बर श्रेणी–3 फलैट का निर्माण |

उपरोक्त निर्माण कार्य के 25वें एवं 28वें रनिंग बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि एग्रीमैन्ट संख्या 11 ऑफ 2006–07 की मद संख्या: 61, 40x40x5 mm साईज के एंगल की मात्रा रनिंग मीटर मे मापे जाने के पश्चात इसे किलो ग्राम में परिवर्तित करते समय 3.50 कि0ग्रा0 प्रति रनिंग मीटर का फैक्टर लगाकर मात्रा कि0ग्रा0 में आंकी गई जबकि सही गणना 3.00 कि0ग्रा0 प्रति रनिंग मीटर की दर की जानी चाहिए थी। इस प्रकार गलत गणना किए जाने के कारण 75.43 कि0ग्रा0 मात्रा, जिसका विवरण निम्न दिया गया, दर ₹48/–प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹3,621/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली शीघ्र करके जमा करवाई जाए।

अधिक ली गई मात्रा का विवरण :–

| लागत माप पुस्तिका सं0/पृ0सं0 | रिकॉर्ड माप पुस्तिका सं0/पृ0सं0 | मात्रा रनिंग मीटर | फैक्टर जो लिया गया | मात्रा कि0ग्रा0 जिसका भुगतान किया गया | फैक्टर जो लिया जाना चाहिए था | सही मात्रा कि0ग्रा में | अधिक मात्रा कि0ग्रा (5–7) | रनिंग बिल सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650/63 | 517/93 | 16.48 | 3.50 | 57.68 | 3.00 | 49.44 | 8.24 | 25 वां |
| 650/63 | 646/57 | 7.42 | 3.50 | 25.97 | 3.00 | 22.26 | 3.71 | 25 वा |
| 650/63 | 602/94 | 85.80 | 3.50 | 300.30 | 3.00 | 257.40 | 42.90 | 25 वा |
| 730/26 | 693/71 | 41.16 | 3.50 | 144.06 | 3.00 | 123.48 | 20.58 | 28 वा |
| | | | | | | | 75.43 | |

16 वाऊचर संख्या 98, दिनांक 22.03.10, राशि ₹22,76,807/– :–

| | |
|---|---|
| कार्य का नाम | लाईंग सोलिंग बियरिंग इनकलूडिंग टायरिंग एट पारीवत सैल्फफाईनैंस स्कीम कण्डाघाट |

148

| | |
|---|---|
| संविदाकार का नाम | श्री नमित गुप्ता |
| अनुबन्ध संख्या | 7 वर्ष 2009–10 |
| माप पुस्तिका संख्या | 706 पृष्ठ 30 से 45 |
| चलत बिल संख्या | द्वितीय चलत बिल |

उपरोक्त वाऊचर द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 व 2 क्रमशः "कटिंग इन अर्थ वर्क" व "एक्सकावेशन इन फॉऊंडेशन ट्रैंच" के करवाए गए कार्य 324.12 घन मीटर व 686.48 घन मीटर कार्य हेतु क्रमशः ₹100/– (पार्ट दर) प्रति घन मीटर व ₹120/–पार्ट दर प्रति घन मीटर की दर से ₹32,412.00 तथा ₹82,377.00 का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जॉच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹1925/–का भुगतान गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक किया गया जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹1925/–की वसूली संविदाकार से करके राशि जमा करवाई जाए।

| क्र0 सं0 | कार्य मद सं0 व नाम | माप पुस्तिका सं0 व पृ0 | आर0डी0 | ली गई गणना | सही गणना | अधिक ली गई मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कटिंग इन अर्थ वर्क | 707 पृ0 48 | 0/30 to 0/40 | 555.20 घन मी0 | $\frac{56.78+54.26}{2}$x10.00=553.20 घन मी0 | 2 .20 |
| | | | 0/40 to 0/50 | 563.70 घन मी0 | $\frac{53.82+58.48}{2}$x10.00=561.50 घन मी0 | 2 .20 |
| | | | | | Total | 4.40 |
| | | | | | प्रति घन मी0 भुगतान दर | 80.00 |
| | | | | | अधिक भुगतान (क) | 352.00 |
| 2 | एक्सकावेशन इन अर्थ वर्क | 707 पृ0 28, 29 व 30 | mh 1to2 | 9.26 | 11.65x0.55x$\frac{1.05+1.60}{2}$ | 8.49 |
| | | | mh 2to3 | 6.72 | 11.20x0.55x$\frac{1.25+0.75}{2}$ | 6.16 |
| | | | mm 3to4 | 6.21 | 11.50x0.55x0.90 | 5.69 |
| | | | mm 4to5 | 2.02 | 11.20x0.55x0.30 | 1.85 |
| | | | mm 5to6 | 3.36 | 11.20x0.55x0.50 | 3.08 |
| | | | mm 6to7 | 4.12 | 9.80x0.55x0.70 | 3.78 |
| | | | mm 7to8 | 6.75 | 11.25x0.55x1.00 | 6.19 |
| | | | mm 8to9 | 5.99 | 11.10x0.55x0.60+1.20 | 5.49 |



3938236

| | | | |
|---|---|---|---|
| mm 9to10 | 6.38 | 11.20x0.55x0.55 | 5.85 |
| कैट–IV | | | |
| mm 1to2 | 4.84 | 6.20x0.55x1.30 | 4.44 |
| mm 2to3 | 9.22 | 12.90x0.55x1.20 | 8.52 |
| mm 3to4 | 10.89 | 12.10x0.55x1.50 | 9.98 |
| mm 4to5 | 7.43 | 5.90x0.55x2.10 | 6.81 |
| mm 5to6 | 6.53 | 6.60x0.55x1.65 | 5.99 |
| mm 6to7 | 1.01 | 1.25x0.55x1.35 | 0.93 |
| mm 7to8 | 14.51 | 11.25x0.55x$\frac{1.60+2.70}{2}$ | 13.30 |
| mm 8to9 | 4.15 | 6.15x0.55x$\frac{0.75+1.50}{2}$ | 3.80 |
| mm 9to10 | 10.22 | 11.35x0.55x1.50 | 9.37 |
| कैट–I Block No.15 | | | |
| | 4.76 | 6-90x0-55x$\frac{0-50+0-65}{2}$ | 4.36 |
| | 3.68 | 8.45x0.55x$\frac{0.65+0.80}{2}$ | 3.37 |
| | 5.22 | 8.70x0.55x$\frac{0.80+1.20}{2}$ | 4.78 |
| | 3.45 | 3.90x0.55x$\frac{1.20+1.75}{2}$ | 3.16 |
| Block No.2 | | | |
| | 2.28 | 4.60x0.55x$\frac{0.65+1.00}{2}$ | 2.09 |
| | 2.84 | 4.30x0.55x$\frac{1.00+1.20}{2}$ | 2.60 |
| | 5.43 | 6.70x0.55x$\frac{1.20+1.50}{2}$ | 4.98 |
| | 3.37 | 3.40x0.55x$\frac{1.50+1.80}{2}$ | 3.09 |
| Back Side of Block No.16 | | | |
| | 2.21 | 4.75x0.55x$\frac{(0.65+0.90)}{2}$ | 6.70 |
| | 2.21 | 3.60x0.55x$\frac{(0.90+1.15)}{2}$ | 2.03 |
| | 6.77 | 8.85x0.55x$\frac{(1.15+1.40)}{2}$ | 6.21 |
| | 7.87 | 8.60x0.55x$\frac{(1.40+1.65)}{2}$ | 7.21 |
| | 3.83 | 3.60x0.55x$\frac{(1.65+1.90)}{2}$ | 3.51 |
| Back Side of Block No.17 | | | |
| | 1.09 | 2.80x0.55x0.65 | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.56 | $5.50\text{x}0.55\text{x}\frac{(0.65+0.90)}{2}$ | 2.35 |
| | | 3.44 | $5.60\text{x}0.55\text{x}\frac{(0.90+1.15)}{2}$ | 3.15 |
| | | 3.33 | $4.35\text{x}0.55\text{x}\frac{(1.15+1.40)}{2}$ | 3.05 |
| | | 8.35 | $9.10\text{x}0.55\text{x}\frac{(1.40+1.65)}{2}$ | 7.65 |
| 707 के पृ0 42 पर | **Block No.10 to 7** | | | |
| | | 5.14 | $6.85\text{x}0.55\text{x}\frac{(1.00+1.50)}{2}$ | 4.72 |
| | | 8.24 | $9.15\text{x}0.55\text{x}\frac{(1.25+1.75)}{2}$ | 7.55 |
| | | 6.12 | $6.00\text{x}0.55\text{x}\frac{(1.50+1.90)}{2}$ | 5.61 |
| | | 12.06 | $11.65\text{x}0.55\text{x}\frac{(1.55+1.90)}{2}$ | 11.05 |
| | | 0.61 | $1.45\text{x}0.55\text{x}\frac{(0.65+0.75)}{2}$ | 0.56 |
| | | 3.10 | $4.40\text{x}0.55\text{x}\frac{(1.05+1.30)}{2}$ | 2.84 |
| | योग | 227.64 | | 213.34 |
| | | | अधिक ली गई मात्रा | 14.30 घन मी0 |
| | | | भुगतान दर प्रति घन मीटर | 110.00 |
| | | | अधिक भुगतान राशि(ख) | 1,573.00 |
| | | | कुल अधिक भुगतान राशि क+ख | 352+1573=1925.00 |

17 <u>वाऊचर संख्या: 50, दिनांक 10.03.10, राशि 5,51,264/–</u> :–

| | |
|---|---|
| कार्य का नाम | 1 नम्बर टाईप–3, कीचन ब्लॉक,3 नम्बर बैरेक फार अण्डरट्रायल ऐट सोलन |
| अनुबन्ध संख्या | 32 वर्ष 2005–06 |
| माप पुस्तिका संख्या | 766, पृष्ठ 1 से 36 |
| बिल संख्या | 25 वां चलत बिल |
| संविदाकार का नाम | श्री अरविन्द गुप्ता |

**स्टील की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹5,355/–का अधिक भुगतान** :–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 70(ii) स्टील वर्क बैंडिंग इन बिल्ट अप सैक्शन इन मोल्डिंग, फ्रेम, मार्ड के करवाए गए 19.47क्वि0 मात्रा हेतु ₹4800/–प्रति क्विंटल (पूर्ण दर ₹5000/–) की दर से ₹93,456.00 का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान में माप पुस्तिका संख्या 655 पृष्ठ 78 पर

की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा 4.39 क्विंटल भी सम्मिलित थी, जिसकी जॉच करने पर पाया गया कि एम0एस फलैट 40x5mm साईज की मात्रा 76.50 रनिंग मीटर मापे जाने के पश्चात इसे कि0ग्रा0 में परिवर्तित करते 3.00 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का फैक्टर लगाकर मात्रा कि0ग्रा0 में 229.50 कि0ग्रा0 अंकित की गई जबकि सही गणना 1.60 कि0ग्रा0 प्रति मीटर की दर से करके मात्रा 122.40 कि0ग्रा0 ही बनती थी। गलत गणना किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व 107.10 कि0ग्रा0 अधिक ली गई मात्रा की ₹50/–प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹5,355/–की वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

18 <u>समायोजन वाऊचर संख्या 35, मास 3/10, राशि ₹17,373/–</u> :–

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के द्वारा ₹17,373/–की राशि 18 नम्बर कैट–1, 6 नम्बर कैट–2 फलैटस कसुम्पटी को डैबिट व इतनी ही राशि 24 नम्बर कैट–1, 40 नम्बर कैट–2 व 8 नम्बर कैट–3 तथा 56 नम्बर कैट–4 फलैटस, कण्डाघाट को क्रैडिट की गई थी। यह समायोजन इन्डैंट संख्या 1035 दिनांक 02.08.08 को 100 बैग सीमेन्ट हस्तातंरित किए जाने से सम्बन्धित था। जारी सामान की वसूली मैं0 ए0जी0 कन्सट्रकशन से की जानी थी तथा यह सामान मैं0 औम प्रकाश सुरेन्द मोहन से प्राप्त हुआ दर्शाया गया। अंकेक्षण में जॉच करने पर पाया गया कि यह समायोजन गत 1½ वर्ष (18 मास) से लम्बित था तथा कण्डाघाट सब डिवीजन से यह किस पत्र के साथ समायोजन हेतु भेजा गया निर्माण मण्डल मे यह कब प्राप्त हुआ। 100 बैग सीमेन्ट का तत् समय कण्डाघाट से शिमला सब डिवीजन को लाने का क्या ठोस आधार था आदि का कोई भी औचित्य अभिलेख में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त सीमेन्ट की मात्रा यदि सब डिवीजन, शिमला में प्राप्त भी हुई तो उसका क्या अभिलेख में क्या सन्दर्भ है। इतने विलम्ब के पश्चात बिना किन्हीं तथ्यों को स्पष्ट किए एक निर्माण कार्य से दूसरे निर्माण कार्यों को सीधे सामान हस्तातंरित किया जाना अपने आप में ही अत्यन्त आपत्तिजनक व अनियमित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त समायोजन केवल औपचारिकता को पूर्ण किए जाने हेतु ही किया गया है। वास्तव में सीमेन्ट का हस्तातंरण हुआ ही नहीं होगा जिसके सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्य संलग्न अभिलेख के साथ नहीं पाए गए। यदि यह हस्तातंरण कण्डाघाट से शिमला के लिए किया भी गया था, तो भी यह किसी प्रकार से उचित नहीं था, क्योंकि शिमला में ही हिमुडा के अन्य भण्डार मौजूद थे। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 100 बैग सीमेन्ट का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से भी लाया जाता है।

19 **समायोजन वाऊचर संख्या 34, मास 3/10, राशि ₹34,746/– :–**

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के द्वारा ₹34,746/–की राशि 15 नम्बर कैट–1, फलैटस व 30 नम्बर कैट–2 तथा 6 नम्बर कैट–3 फलैटस ग्रुप–4 कसुम्पटी को डैबिट तथा इतनी ही राशि 24 नम्बर कैट–1, 40 नम्बर कैट–2, व 8 नम्बर कैट–3 तथा 56 नम्बर कैट–4 फलैटस एट कण्डाघाट को क्रैडिट की गई थी। यह समायोजन इण्डैंट नम्बर 9261 आर0टी0 दिनांक 30.07.08 को 200 सीमेन्ट बैग हस्तांतरित किए जाने से सम्बन्धित था तथा एक ही संविदाकार को दो अलग–अलग कार्य स्थलों से यह सम्बन्धित था तथा जारी सामान की वसूली भी संविदाकार से की जानी आपेक्षित थी। अंकेक्षण में जॉच करने पर पाया गया कि 200 बैग सीमेंट दिनांक 30.07.08 को हस्तांतरित किए गए जिसके समायोजन निर्माण मण्डल द्वारा लगभग 1½ वर्ष (18 मास) व्यतीत हो जाने पर किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि सब डिवीजन शिमला द्वारा किस आधार पर यह मॉग कण्डाघाट से की गई तथा सब डिवीजन कण्डाघाट से सब डिवीजन शिमला–3 को 200 सीमेन्ट बैग हस्तांतरित करने का क्या तोस आधार/औचित्य था यह अभिलेख समायोजन हेतु निर्माण मण्डल में कब पाप्त हुआ आदि का भी कोई उल्लेख अभिलेख में नहीं पाया गया। इतने विलम्ब के पश्चात बिना किन्ही तथ्यों को स्पष्ट किए एक निर्माण कार्य से दूसरे निर्माण कार्य को सीधे सामान हस्तांतरित किया जाना अपने आप में ही अत्यन्त आपतिजनक व संदिग्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त समायोजन केवल औपचारिकता को पूर्ण किए जाने हेतु किया गया है वास्तव में सीमेन्ट का हस्तांतरण हुआ ही नहीं होगा जिसके सम्बन्ध में कोई भी तोस तथ्य संलग्न अभिलेख के साथ नहीं पाए गए। यदि यह हस्तांतरण कण्डाघाट से शिमला के लिए किया भी गया था तो भी यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं था क्योंकि शिमला में ही हिमुडा के अन्य भण्डार मौजूद थे। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वास्तविकता पर पर्दा डालने के लिए यह सब किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 200 बैग सीमेन्ट का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए। उपरोक्त वर्णित प्रकरण आवश्यक छानबीन हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी लाया जाता है।

20 **निष्पादित निर्माण कार्यों में अत्याधिक मात्रा का विचलन :–**

निर्माण कार्यो से सम्बन्धित चलत् बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कार्य मदों का निर्माण कार्य निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से भी अधिक मात्रा में अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के बिना निष्पादित करवाया गया जबकि नियमानुसार कार्य निष्पादित से पूर्व सक्षम अधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रकार के कुछ प्रकरणो का ब्योरा नीचे दिया गया है। अनुबन्ध में निर्धारित कार्य मात्रा से अत्याधिक मात्रा का कार्य बिना



393824

स्वीकृति प्राप्त किए ही निष्पादित करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। यद्यपि इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्तियाँ पूर्व में भी उठाई गई परन्तु फिर भी इस प्रकार की त्रुटियाँ व गम्भीर अनियमितताओं को अनदेखी करके इन्हें बार–बार दोहराया जा रहा है, जो कि नियमों की पूर्णतया अवहेलना है उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि आवश्यक समाधान व दिशा निर्देश जारी किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

154

3938242

| अनुबन्ध संख्या | निर्माण कार्य का नाम | कार्य मद का नाम व संख्या | चलत बिल संख्या | अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित कार्य मात्रा | चलत बिल तक करवाई गई मात्रा | निर्धारित कार्य मात्रा से अधिक मात्रा | दर | कुल मूल्य | विचलन प्रतिशतता |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ऑफ 2007–08 | पी०एस०एफ०एस० (छ०सेगटी) कस्तुपटी के 18 नम्बर श्रेणी–1, 6 नम्बर श्रेणी,2 फ्लैट का निर्माण | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग ब्रिक ऐग्रीगेट 9 (1:8:16) | 15 वां | 89.81 घन मी० | 205.39 घन मी० | 115.58 घन मी० | 2000 प्रति घन मी० | 2,31,160/– | 129% |
| | | सस्पैंडिड फ्लोर, रूफ 12(बी) | 15 वां | 631.41 घन मी० | 811.31 घन मी० | 179.90 घन मी० | 3300 प्रति घन मी० | 5,93,670/– | 28% |
| | | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंक्रीट (1:3) 13 | 15 वां | 15.25 घन मी० | 46.00 घन मी० | 30.75 घन मी० | 6500 प्रति घन मी० | 1,99,875/– | 202% |
| | | आर०आर० मैसेनरी विद हार्ड स्टोन 24 | 15 वां | 1161.25 घन मी० | 2395.06 घन मी० | 1233.81 घन मी० | 1800 प्रति घन मी० | 22,20,858/– | 106% |
| 13 ऑफ 2007–08 | पी०एस०एफ०एस० (छ०सेगटी) कस्तुपटी के 18 नम्बर श्रेणी–1, 6 नम्बर श्रेणी–2 और 24 नं० श्रेणी–3 फ्लैट का निर्माण | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग ब्रिक ऐग्रीगेट 9 (1:8:16) | 16 वां | 125.89 घन मी० | 284.88 घन मी० | 158.99 घन मी० | 2100 प्रति घन मी० | 3,33,879/– | 126% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रीकास्ट टेज़ो टाईल्स 20एम0एम0 थिक. 53 (16) | 16 वां | 234.01 घन मी0 | 457.30 घन मी0 | 223.29 घन मी0 | 550 प्रति घन मी0 | 1,22,809/– | 95% |
| 32 ऑफ 2005–06 | सब–जेल एट सोलन | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंक्रीट ससपेन्डिड फ्लौर, रूफ 13(ए) | 25 वां | 75.04 घन मी0 | 181.70 घन मी0 | 106.6[illegible] घन मी0 | 2150 प्रति घन मी0 | 2,29,319/– | 142% |
| | | प्रोवाईडिंग टोर स्टील, 17 स्टील वर्क, 73(ए) | 25 वां | 14132.30 कि0ग्रा0 | 26878.60 कि0ग्रा0 | 12746.3[illegible] कि0ग्रा0 | 40/– प्रति कि0ग्रा0 | 5,09,852/– | 90% |
| | | स्टोल वर्क, 73(ए) | 25 वां | 20.07 क्विंटल | 150.51 क्विंटल | 130.44 क्विंटल | 5000 प्रति क्विंटल | 6,52,200/– | 650% |
| 11 ऑफ 2006–07 | रोशल हाउसिंग कलौनी एट बसाल, सोलन के 16 नम्बर श्रेणी–1, 8 नम्बर श्रेणी, 48 नम्बर श्रेणी फ्लैट का निर्माण | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंक्रीट (1:8:16) 10 | 28 वां | 63.03 घन मी0 | 153.59 घन मी0 | 90.56 घन मी0 | 1700 प्रति घन मी0 | 1,53,952/– | 144% |
| | | स्टोन फिलिंग बिहाइंड द रेटेनिंग वॉल 27 | 28 वां | 243.57 घन मी0 | 615.85 घन मी0 | 372.28 घन मी0 | 500 प्रति घन मी0 | 1,86,140/– | 153% |
| | | 10एम0एम0 थिक सीमेंट कंक्रीट (1:2:4) 54 | 28 वां | 408.78 वर्ग मी0 | 1306 वर्ग मी0 | 897.2[illegible] | 135 प्रति वर्ग मी0 | 1,21,128/– | 219% |

21 **₹17,79,527 /—की राशि की अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का निर्माण कार्य स्वीकृति के बिना निष्पादित किया जाना :—**

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित चलत् बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों के चलत् बिलों में अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति व दर अनुमोदन के ही करवाया जा रहा था। इस प्रकार की अनियमितता के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। नियमानुसार इस प्रकार के कार्य मदों का निष्पादन बिना पूर्व स्वीकृति व भुगतान दरों के अनुमोदन उपरान्त ही करवाया जाना अपेक्षित था। यद्यपि इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्ति पूर्व में उठाई जाती रही हैं परन्तु हिमुडा मण्डल–2 द्वारा सुधार हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा अतिरिक्त प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन बिना स्वीकृति के तथा भुगतान दरों के अनुमोदन के बिना ही करवाया गया जो कि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से भी लाया जाता है। चलत् बिलों में निष्पादित की गई अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों के दर विश्लेषण आवश्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित करें तथा भविष्य में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व दर अनुमोदन के उपरान्त ही कार्य मदों का निष्पादन करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए :—

| अनुबन्ध संख्या | निर्माण कार्य का नाम | चलत बिल संख्या | कार्य मद का संक्षिप्त नाम | कार्य मात्रा | भुगतान की गई दर | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ऑफ 2007–08 | पी0एस0एफ0एस0 (छबरोगटी) कसुम्पटी के 18 न0 श्रेणी–1, 6 न0 श्रेणी,2 और 24 न0 श्रेणी–3 फ्लैट का निर्माण (ग्रुप –2) | 15वां, लागत माप पुस्तिका स0 624 पृ0 28 | प्रोवाईडिंग एण्ड लेइंग आर0सी0 सी0 (1:3) | 48.80 घन मी0 | 7000 प्रति घन मी0 | 3,41,600 /– |
| 15 ऑफ 2007–08 | पी0एस0एफ0एस0 (छबरोगटी) कसुम्पटी के 18 न0 श्रेणी–1, 6 न0 श्रेणी 2 फ्लैट का निर्माण (ग्रुप –1) | 14वां, लागत माप पुस्तिका स0 750 पृ0 37 | प्रोवाईडिंग एण्ड फिकसिंग सी0 पी0 ब्रास कन्सिल स्टॉप कॉक सिंगल लिवर | 88 न0 | 960 प्रति | 84,480 /– |
| 32 ऑफ 2005–06 | सब–जेल एट सोलन | 25वां, लागत माप पुस्तिका स0 पृ0 | 15 एम0एम0 सीमेन्ट प्लास्टर | 4373.24 घन मी0 | 79.75 प्रति घन मी0 | 3,49,766 /– |

157

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ऑफ 2006–07 | सोशल हाऊसिंग कालौनी एट बसाल, सोलन 16 न० श्रेणी–1, 8 न० श्रेणी–2, 48 न० श्रेणी–3 फ्लैट का निर्माण | 28वां, लागत माप पुस्तिका 730 पृ0 36 | 10एम0एम0 सीमेन्ट प्लास्टर | 1127.65 वर्ग मी0 | 99.50 प्रति घन मी0 | 1,12,201 / – |
| | | | 40 एम0एम0 थिक मार्बल चिप्स फलोरिंग | 659.06 वर्ग मी0 | 393 प्रति वर्ग मी0 | 2,59,010 / – |
| | | | मार्बल चिप्स सर्कटिक | 84.90 वर्ग मी0 | 362 प्रति वर्ग मी0 | 30,734 / – |
| | | | प्रीकास्ट टेजो टाइलस | 44.67 वर्ग मी0 | 340 प्रति वर्ग मी0 | 15,188 / – |
| | | | एस0 आर0 मसौनरी विथ हार्ड स्टोन। | 18.16 घन मी0 | 1875 प्रति घन मी0 | 34,050 / – |
| | | | गल्जेड टाईल्स 6 एम0एम0 थिक | 33.87 वर्ग मी0 | 1500 प्रति वर्ग मी0 | 50,805 / – |
| | | | प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग मरन्डी बिडिंग | 4489.44 आर0 एम0टी0 | 12 प्रति आर0 एम0टी0 | 53,873 / – |
| | | | कोटा स्टोन स्लैब फलोरिंग | 446.58 वर्ग मी0 | 500 प्रति वर्ग मी0 | 2,23,290 / – |
| | | | कोटा स्टोल 25 एम0एम0 थिक | 176.62 वर्ग मी0 | 528 प्रति वर्ग मी0 | 93,255 / – |
| | | | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग 25 एम0एम0 थिक सीमेन्ट कक्रीट | 2.48 घन मी0 | 2000 प्रति वर्ग मी0 | 4,960 / – |
| | | | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग ग्लास स्ट्रीप | 2680 आर0 एम0टी0 | 17.30 प्रति आर0 एम0टी0 | 46,367 / – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सीमेन्ट प्लास्टर 1:3 | 89.08 वर्ग मी0 | 106 प्रति वर्ग मी0 | 9,442/– |
| एलुमीनियम हेल्डलस | 1616 नं0 | 36.75 प्रति वर्ग मी0 | 59,388/– |
| एकसट्रा प्लीशिंग | 71.75 वर्ग मी0 | 154.95 प्रति वर्ग मी0 | 11,118/– |
| | | | 17,79,527/– |

22 (क) मण्डल–2 की वाहन संख्या एच0पी0–63(ए)–0607 द्वारा की गई यात्राओं का लॉग बुक में नियमानुसार प्रविष्टि न करना :–

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा मण्डल–2 की वाहन संख्या एच0पी0–63(ए)–0607 की माह 3210 की लॉग बुक की पड़ताल करने पर पाया गया कि वाहन निम्न कार्य दिवसों में विधान सभा डियूटी पर थी परन्तु "अधिकारी हस्ताक्षर" वाले कॉलम में किसी उपयोगकर्त्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थें इस प्रकार वाहन की विधानसभा यात्रा को सही नहीं माना जा सकता।

| दिनांक | समय | मिली मी0/किलो मी0 के अनुसार गाडी कितनी चली | किलो मी0 चली | वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.10 | शून्य | 9652<br>9701 | 49 कि0मी0 | शून्य |
| 09.03.10 | शून्य | 9701<br>9748 | 47 कि0मी0 | शून्य |
| 10.03.10 | शून्य | 9748<br>9790 | 42 कि0मी0 | शून्य |
| 11.03.10 | शून्य | 9790<br>9827 | 37 कि0मी0 | शून्य |
| 12.03.10 | शून्य | 9827<br>9878 | 51 कि0मी0 | शून्य |

इस प्रकार की यात्रा अंकेक्षण में मान्य नही है, अतः लॉग बुक में नियमानुसार प्रविष्टि की जाए अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूलनी की जाए।

(ख) मास 3/2010 के लिए वाहन संख्या एच0पी0–63(ए)–0607 की आऊट टर्न न बनाना :–

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा मण्डल–2 की वाहन संख्या एच0पी0–63(ए)–0607 की माह 3/2010 की लॉग बुक की पड़ताल पर पाया गया कि मास 3/2010 के लिए आऊट टर्न नही बनाई गई, जो कि अनियमित ही नही अपितु आपत्तिजनक भी हैं। अतः मास 3/2010 की



3938246

आवश्यक आऊट टर्न बनाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य मे वाहन द्वारा की गई यात्रा का मासिक आऊट टर्न तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

23 समायोजन वाऊचर संख्याः 23, मास 3/2010, राशि ₹772/-

सब वाऊचर सख्याः 6, मास 3/2010

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के द्वारा ₹772/-की राशि का भुगतान बी0एस0एन0एल0 सोलन के बिल संख्याः 97415851, दिनांक 25.03.10 मासिक व्यय हेतु किया गया। किया गया व्यय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हेतु डी0वी0डी0ओ0 कार्ड (इन्टरनैट) कैनशन के मासिक किराये के लिए किया गया

अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा उक्त मद में मास 3/2010 तक ₹7535/-का व्यय निम्न प्रकार से किया गया।

| | |
|---|---|
| ई0वी0डी0ओ0 कार्ड लागत | 3640/- |
| मासिक बिल अवधि 07.05.09 से 06.07.09 | 1244/- |
| मासिक बिल अवधि 07.07.09 से 06.09.09 | 552/- |
| मासिक बिल अवधि 07.09.09 से 06.11.09 | 555/- |
| मासिक बिल अवधि 7.11.09 से 06.01.10 | 772/- |
| मासिक बिल अवधि 07.01.10 से 06.03.10 | 772/- |
| | 7535/- |

यह व्यय सब डिवीजन स्तर पर मुख्यालय हेतु किया गया जो कि उचित प्रतीत नहीं होता जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

24 बैंक समाधान विवरणिका :-

दिनांक 31.03.2010 को तैयार किए गए बैंक समाधान विवरणिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित बैंकों के बकाया राशियों की पड़ताल करते समय ₹1,968.98 की राशि समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई थी। विभिन्न बैंकों से सम्बन्धित यह राशियॉं नगर विकास प्राधिकरण की रोकड़ बही व बैंक खातों का दिनांक 22.02.2001 में पाए अन्तर से सम्बन्धित था। यद्यपि हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण की हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण में विलय हुए लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था किन्तु तत्कालीन पाए गए अन्तर का मिलान अभी तक भी नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी अन्तर के मिलान करने हेतु लिखा गया था परन्तु वर्तमान अंकेक्षण की अवधि तक मण्डल द्वारा आवश्यक कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप मिलान अभी तक लम्बित था। 10 वर्ष की

अवधि समाप्त होने पर भी राशियों का समायोजन/मिलान न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

| बैंक का नाम | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| यूको बैंक निगम विहार शिमला–2 | नगर विकास प्राधिकरण के खाता संख्या 1991 व रोकड़ में अन्तर बैंक में कम जमा। | 2,283.98 |
| पंजाब नैशनल बैंक कसुम्पटी | नगर विकास प्राधिकरण के खाता संख्या 4193002100001513 व रोकड़ में अन्तर बैंक में अधिक जमा। | 315.00 |
| | योग | 1968.98 |

पंजाब नैशनल बैंक दि–माल खाता संख्या 47588 की बैंक समाधान विवरणिका की पड़ताल में पाया गया कि उक्त बैंक का खाता दिनांक 27.01.10 को बन्द कर दिया गया एव शेष राशि ₹17,480.91 को पंजाब नैशनल बैंक कसुम्पटी खाता संख्या 4193002100001513 में दिनांक 27.01.10 को जमा करवाई गई। साथ ही ₹638.65 जो कि गत वर्षों का बैंक समाधान विवरणिका का अन्तर था (जिसे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/09 के पैरा सं0 28 में दर्शाया गया था), को वाऊचर संख्या 136, दिनांक 27.01.10 द्वारा अनाधिकृत रूप से रोकड़ बही पृ0 सं0 198 पर बैंक खर्चे के रूप में दर्शाये गए। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो कि वित्तीय गम्भीर मामला है। अतः ₹638.65 को अनाधिकृत रूप से खर्चा दिखाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

25 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित संविदाकारों के साथ किए गए अनुबन्धों की जॉच करने पर पाया गया कि संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्यों का कार्य अनुबन्धित समय में पूर्ण नहीं किया जा रहा है तथा अंकेक्षण किए जाने तक भी इन्हें पूर्ण नहीं किया पाया गया। अनुबन्ध की धारा–2 के अनुसार संविदाकार द्वारा यदि निर्माण कार्य अनुबन्धित समय में पूर्ण नहीं किया जाता तो अधिकतम अनुबन्धित राशि का 10% भाग मुआवजे के रूप में वसूल किया जाना आपेक्षित था। परन्तु संविदाकारों द्वारा अत्यन्त विलम्ब किए जाने पर भी उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। निर्माण कार्यों को अनुबन्धित समय में पूर्ण न किए जाने पर एक तरफ तो विभागीय कार्य कुशलता प्रभावित होती है वहीं दूसरी ओर मुआवजे की राशि से भी वंचित होने पर विभाग को आय से वंचित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी संविदाकारों को निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न किए जाने हेतु प्रोत्साहन ही मिलता है। अंकेक्षण में पाए गए इस प्रकार के प्रकरण निम्न वर्णित है, जिसके अनुसार ₹2,00,21,033/–की राशि निर्माण कार्य देरी से किए जाने हेतु मुआवजे के रूप में संविदाकारों से देय बनती थी। ₹2,00,21,033/–की राशि मुआवजे के रूप में न वसूल किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।



3938248

| क्र० सं० | निर्माण कार्य का नाम / एग्रीमेन्ट सं० | ठेकेदार का नाम | कार्य आरम्भ करने की तिथि / कार्य पूर्ण करने की तिथि | विलम्ब अवधि (माह) 31.03.10 तक | निर्माण लागत / निर्माण लागत दिनांक 31.03.10 | एग्रीमेन्ट की धारा-2 के अन्तर्गत [illegible] राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एडीशनल स्टोरी (हाल विद टायलट) एगजिस्टिंग आर्टस ब्लाक बिल्डिंग एट पी०जी० कॉलेज सोलन हि०प्र० (डब्लयू० एस० एण्ड एस० आई०)रहित 4 आफ 2009-10 | श्री इन्द कुमार | 01.09 2009 / 28.02.2010 | 1 | 2961341/- 894952/- | 96,104/- | दिनांक 09.03.10 को 1st Running Bill का भुगतान किया गया और कुल आवंटित लागत का 30% कार्य ही किया गया। |
| 2 | सब-जेल एट सोलन / 32 ऑफ 2005-06 | श्री अरविन्द कुमार गुप्ता | 17.09 2005 / 16.03.2007 | | 16316521/- 18358732/- | 16,31,352/- | Still Running |
| 3 | [illegible] (छबरोमटी) [illegible] के 18 नं० श्रेणी-1, [illegible] श्रेणी-2 फ्लैट का निर्माण। 15 ऑफ 2007-08 | मै० ए० जी० कन्सट्रक्शन क० | 11.07 2007 / 10.0[illegible] 2009 | 14 | 41619830/- 35256403/- | [illegible]61,983/- | दिनांक 31.03.10 को 18वें चालित बिल का भुगतान किया गया और कुल लागत का 84.71% कार्य ही किया गया। |
| 4 | [illegible](छबरोमटी) [illegible] के 18 नं० श्रेणी-1, 6 नं० श्रेणी-2 और 24 नं० श्रेणी-3 फ्लैट का निर्माण [illegible] ऑफ 2007-08 | मै० [illegible] एसोसिएट | 01.07 2007 / 31.12.08 | 15 माह | 69490402/- 43438831/- | 69,49,040/- | दिनांक 31.03.10 को चालित बिल का भुगतान किया गया और कुल लागत का 67% कार्य ही किया गया। |

393825

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | संशल हाऊसिंग कलौनी एट बसाल, सोलन 16 नं श्रेणी–1, 8 नं श्रेणी–2, 48 नं0 श्रेणी–3 फ्लैट का निर्माण | मै0 नारिया इन्टरप्राईजिज | 13.08.06 / 12.08.07 | 31 माह | 50012511/– 48379711/– | 50,01,251/– | दिनांक 31.03.10 को 28 वां चलित बिल का भुगतान किया गया और कुल लागत का 96% कार्य ही किया गया। |
| 6 | संस्कृत कॉलेज, सोलन का निर्माण 32 ऑफ 2006–07 | श्री अरविन्द कुमार गुप्ता | 24.01.07 / 23.01.08 | 26 माह | 19809231/ 11460713/– | 19,80,923/– | दिनांक 30.03.10 को 15वें चलित बिल का भुगतान किया गया और कुल आवंटित लागत का 58% कार्य ही किया गया। |
| | | | | | | ₹2,00,21,033 | |

26 **₹6,420/–की राशि का अनुचित भुगतान –**

सब डिवीजन न0 3 के स्टॉक लेखा की पड़ताल करने पर पाया गया कि सब डिवीजन में मास 12/09 से 3/2010 तक 8 एम0एम0 () से 25 एम0एम0 () स्टील की मात्रा 53.50 मीट्रिक टन प्राप्त हुई बिन कार्ड की जाँच करने पर पाया गया कि समस्त प्राप्त स्टील को एक मुश्त ही निर्माण कार्यों को प्राप्ति दिनांक के साथ ही जारी कर दिया गया। अवक्षण में यह भी पाया गया कि समस्त निर्माण स्थल भी स्थानीय/सब डिवीजन के साथ ही लगते थे। प्राप्ति के समय स्टील की उतराई हेतु ₹120/–प्रति मीट्रिक टन की दर से 3/2010 में ₹6,420/–का भुगतान किया गया। प्राप्ति व जारी दिनांक में कोई विशेष अन्तर न होने तथा समस्त प्राप्ति को सीधे निर्माण कार्यों के प्रयोग हेतु संविदाकारों को एक मुश्त जारी कर दिये जाने को ध्यान में रखते हुए सामान को सीधे ही निर्माण कार्य स्थल में उतारा गया व संविदाकार को भी सीधे जारी कर दिया गया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ₹6,420/–के किए गए अनलोडिंग चार्जिज के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹6,420/– की राशि जमा करवाई जाए।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009

16 JUN 2011

पृष्ठांकन संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)196/97–खण्ड–5 दिनांक, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है –

प्रेषिती – 1. अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 शिमला–171009 हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अवक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2. प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002

3. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार शिमला–171002

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009

(अनूप कुमार [illegible])



राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—489-एल0ए0टी0/2001-28-5-2001—2,000.

# Inspection Report of Sh. Padam Singh Kanwar, Deputy Director, Local Audit Department on the account of HIMUDA Division-II Shimla. (H.P)

The Inspection of the account of HIMUDA Division-II Shimla was conducted by the undersigned w.e.f. 23-11-2011 (AN) to 24-11-11 (FN) at Shimla. The following audit paras were settled on the spot after verifying the position from relevant record :-

1. (a) **Audit note for the period from 04/08 to 03/2009**

| | | |
|---|---|---|
| Para No. | 4(क) | Para updated current position of Misc. Advances is depicted in current audit report hence settled. |
| Para No. | 4(ख) | Settled, Para updated current position of Misc. Advances is depicted in current audit report hence settled. |
| Para No. | 5(क) | Settled, Para updated current position of Misc. Advances is depicted in current audit report hence settled. |
| Para No. | 6(क) | Settled, The recovery of ₹735/- was made from 18th running bill vide M.B. No. 788, Page-8. |
| Para No. | 6(ख) | Settled, The recovery of ₹618/- was made from 18th running bill vide M.B. No. 788, Page-10. |
| Para No. | 6(ग) | Settled, The recovery of ₹1152/- was made from 18th running bill vide M.B. No. 788, Page-16. |
| Para No. | 6(घ) | Settled, Reply considered i.e. diamentions of Pit/foundation of column were as per drawings approved by the Competent Authority. |
| Para No. | 6(च) | Settled, Reply submitted by Executive Engineer is considered. |
| Para No. | 7 | Settled, The recovery of ₹91989/- upto 12th running bill was made vide voucher No. 119, of dated 21-04-09. |
| Para No. | 8(क) | Settled, The recovery of ₹1105/- was made vide receipt no. 0040239 dated 22-11-2011. |
| Para No. | 8(ख) | Settled, The recovery of ₹402/- was made vide receipt no. 0040239 dated 22-11-2011. |



राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला—489-एल० ए० डी०/2001-28-5-2001—2,000.

| | | |
|---|---|---|
| Para No. | 8(ग) | The foundation/Pit size of columns checked from approved drawing and found as per the entries made in M.B. hence pare settled. |
| Para No. | 9(क)से(ङ) | Total recovery of ₹15613/- was made vide Jr.Vr. No. 16 of 07/2011, hence pare settled. |
| Para No. | 10(क)से(ख) | Total recovery of ₹25614/-was made vide Jr. Vr. No. 1 of 11/2011, hence para settled. |
| Para No. | 11(क)से(ग) | Total recovery of ₹4667/- was made from 12th running bill vide M.B. No. 745, Page. No. 79,80, hence pare settled. |
| Para No. | 12(क)से(ग) | Total recovery of ₹6263/- was made from 12th running bill vide M.B. No. 683, Page. No. 35, hence pare settled. |
| Para No. | 17 | The accountal of 0.450 M.T. Steel has been made in construction Ledger at Page No. 13, hence para settled. |
| Para No. | 19 | Para Settled as per reply submitted by the Executive Engineer. |
| Para No. | 21 | Para Settled as per reply submitted by the Executive Engineer. |
| Para No. | 23 | Para Settled as posting of indents verified from Ledger. |
| Para No. | 26 | Para Settled as per reply submitted. |
| Para No. | 28 | Para Settled as per reply submitted. |

**(b) <u>Audit note for the period from 04/09 to 03/10</u>**

| | | |
|---|---|---|
| Para No. | 4(क) | Updated, hence settled. |
| Para No. | 4(ख) | Updated, hence settled. |
| Para No. | 5 | Updated, hence settled. |
| Para No. | 6 | Para Settled as per reply submitted by Executive Engineer. |
| Para No. | 7 | Para Settled as per reply submitted by Executive Engineer. |
| Para No. | 9(1) & (2) | Para deleted from here and to be incorporated in Head office Audit report. |
| Para No. | 10(1) | Para Settled as per reply submitted by Executive Engineer. |
| Para No. | 11 | Para Settled as per reply submitted by Executive Engineer. |



राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—489-एल0 ए0 डी0/2001-28-5-2001—2,000.

-166

| | | |
|---|---|---|
| Para No. | 13(क) | Recovery of ₹15210/- is made during 18th running bill vide M.B. No. 757, Page No. 56, hence settled. |
| Para No. | 13(ख) | Recovery of ₹11088/- was made during 4th running bill vide M.B. No. 533, Page No. 63 by making overall measurement, hence settled. |
| Para No. | 13(ग) | Recovery of ₹396/- was made during 18th running bill vide M.B. No. 757, Page No. 62, hence settled. |
| Para No. | 13(घ) | Recovery of ₹81503.50 was made during 18th running bill, vide M.B. No. 757, Page No. 66, hence settled. |
| Para No. | 13(ङ) | Settled, as per reply submitted. |
| Para No. | 14 | Recovery of ₹4536/- was made during 19th running bill, vide M.B. No. 789/2010, Page No. 16, hence settled. |
| Para No. | 15 | Recovery of ₹3621/- was made during 29th running bill, M.B. No. 801, Page No. 19, vide Cash Book No. 131/ 25-05-2011, hence settled. |
| Para No. | 18 | Para settled as per reply submitted by Executive Engineer. |
| Para No. | 19 | Para settled as per reply submitted by Executive Engineer. |
| Para No. | 24 | Para settled as per reply submitted by Executive Engineer. |

/

Deputy Director,
Local Audit Department,
Himachal Pradesh Shimla-171009.

26 NOV 2011

Endst. No. 1-548/2011-Fin(LA)Vol-I.-6328 dated, Shimla-171009, the............

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. CEO-cum-Secretary, HIMUDA, Nigam Vihar, Shimla-2.
2. Executive Engineer HIMUDA Division-II, Distt. Shimla (HP).
3. File No. Fin(LA)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-6.
4. Sh. Anil Sharma, Section Officer, C/o.....................

26/11

Deputy Director,
Local Audit Department,
Himachal Pradesh Shimla-171009.



राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला—489-एल० ए० डी०/2001-28-5-2001—2,000.